भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1623
दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नशीले पदार्थों का सेवन एवं तस्करी

1623. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की तेजी से बढ़ती समस्या के साथ-साथ सीमापार से नशीले पदार्थों की तस्करी, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित ड्रग्स जैसे प्रीगाबालिन (लिरिका), गैबापेंटिन, क्लोनाजेपाम, अल्प्राजोलम (जनाक्स), एटिजोलम, डायजेपाम और ट्रामाडोल जैसे नशीले पदार्थों के सेवन में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन दवाओं की आसान उपलब्धता पर ध्यान देने, मेडिकल स्टोरों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करने, अवैध बिक्री को रोकने, कड़ी निगरानी रखने, सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने और युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस समस्या को रोकने के लिए उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस समस्या को दूर करने के लिए कोई एकीकृत कार्ययोजना या विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राजस्थान राज्य में, वर्ष 2023 से 2025 की अवधि के दौरान, विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को रिपोर्ट किए गए फार्मास्युटिकल से संबंधित

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1623 दिनांक 10.02.2026

स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) से जुड़े मामलों, जब्त की गई मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल जब्ती (किग्रा में)	कुल मामले	कुल गिरफ्तारियां
2023	249	367	437
2024	1,252	330	393
2025	187	268	339

स्रोतः एनसीबी

राजस्थान सरकार के गृह विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार वर्ष 2023 से 2025 की अवधि के दौरान प्रतिबंधित दवाओं (फार्मास्यूटिकल्स) के दुरुपयोग के संबंध में दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

जिला	वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए नशीले पदार्थों का विवरण
श्रीगंगानगर	2023	16	16	14146 गोलियां/कैप्सूल
	2024	118	144	237231 गोलियां/कैप्सूल
	2025	136	161	708465 गोलियां/कैप्सूल
हनुमानगढ़	2023	10	24	18840 ट्रामाडोल, 7200 अल्प्राजोलम
	2024	11	16	8518 ट्रामाडोल, 1160 प्रीगेबलिन, 1310 अल्प्राजोलम
	2025	42	62	17717 ट्रामाडोल, 274655 प्रीगेबलिन

(घ) और (ङ): राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा लाइसेंस दिए जाने और निरीक्षण करने की प्रणाली के माध्यम से दवाओं की बिक्री और वितरण पर नियामक नियंत्रण किया जाता है। एसएलए को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 के नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है। शेड्यूल 'एच' के अंतर्गत सूचीबद्ध दवाओं की बिक्री के लिए डॉक्टरों के पर्चे अनिवार्य हैं, जबकि शेड्यूल 'एच1' के अंतर्गत सूचीबद्ध दवाओं पर सख्त नियामक नियंत्रण लागू होते हैं, जिनमें इनके दुरुपयोग को रोकने और जन स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर के पर्चे की बढ़ी हुई आवश्यकताएं, रिकॉर्डों के अनिवार्य रखरखाव और विशेष लेबलिंग के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, शेड्यूल 'एच' की दवाओं के लेबल पर यह चेतावनी अंकित होनी चाहिए: "केवल

पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही खुदरा बिक्री हेतु।" और शेड्यूल 'एच1' की दवाओं के लेबल पर लाल बॉक्स में यह चेतावनी अंकित होनी चाहिए: "शेड्यूल एच1 दवा - चेतावनी: चिकित्सकीय सलाह के बिना इस दवा का सेवन करना खतरनाक है। पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना खुदरा बिक्री के लिए नहीं।" समय-समय पर दवाइयों की बिना पर्चे के बिक्री के संबंध में छिटपुट शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) को भेज दिया जाता है। सभी राज्य औषधि नियंत्रकों और अन्य स्टेकहोल्डरों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और जनता को दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न नोटिस/परामर्श/पत्र जारी किए गए हैं।

सरकार ने राजस्थान राज्य सहित, देश में, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और उनकी मांग को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए चार स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र का गठन किया गया है।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है।

(iii) नशीले पदार्थों की जब्ती की महत्वपूर्ण जांचों की निगरानी के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(iv) सीमा सुरक्षा बलों को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है।

(v) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त अभियान चलाता है।

(vi) सीमा पार हवाई निगरानी/रेकी/सर्च/डोमिनेशन आदि के लिए ड्रोन आधारित क्षमताओं को संस्थागत रूप देना।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1623 दिनांक 10.02.2026

(vii) अन्य देशों के साथ, नियमित रूप से, आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है और कंट्रोल्ड डिलीवरी (सीडी) ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

(viii) एनसीबी ने मादक पदार्थों की मांग को कम करने के लिए, मिशन स्पंदन शुरू किया है और जागरूकता तथा सामूहिक प्रयास के माध्यम से इनके दुरुपयोग और मनःप्रभावी पदार्थों की लत से निपटने के लिए 5 आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ix) पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से नियमित रूप से रैलियां और नाटक आयोजित किए जाते हैं।

(x) विशेष अवसरों पर, मोबाइल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता से संबंधित एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं।

(xi) कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सूचना देने के लिए 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।

(xii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, एक केंद्र प्रायोजित योजना 'नेशनल एक्शन प्लान फार ड्रग डिमांड रिडक्शन' (एनएपीडीडीआर) को राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में लागू कर रहा है, जिसके तहत अग्रलिखित उद्देश्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: (i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों आदि के लिए; (ii) गैर सरकारी संगठनों/स्वैछिक संगठनों को नशा मुक्ति केंद्रों (आईआरसीए), किशोरों में नशीली दवाओं के उपयोग की प्रारंभिक रोकथाम हेतु समुदाय आधारित पीयर लेड इंटर्वेशन (सीपीएलआई) के लिए, आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी) तथा जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के संचालन और रखरखाव के लिए; एवं (iii) सरकारी अस्पतालों को व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए।

(xiii) राजस्थान राज्य के महानिदेशक, जयपुर के निर्देशानुसार, मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुप्रयोग की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मादक पदार्थ-रोधी बल चौकियां स्थापित की गई हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1623 दिनांक 10.02.2026

(xiv) राजस्थान पुलिस श्रीगंगानगर में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए व्हाट्सएप अभियानों, सेमिनारों, रैलियों, बैनरों, वॉल पेंटिंगों और नशामुक्ति की प्रतिज्ञा जैसे निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से "ऑपरेशन सीमा संकल्प" चला रही है। इसके साथ ही, जिला प्रशासन के "नशामुक्त श्रीगंगानगर" अभियान के अंतर्गत नशामुक्ति केंद्र और जागरूकता कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग ने 641 मेडिकल स्टोरों के लिए एक पंजीकृत पोर्टल स्थापित किया है। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन भी इसी तर्ज पर "नशामुक्त हनुमानगढ़" अभियान चला रहा है।

*****